

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ १(२)ग्रामीण/नरेगा/माद/बारां/68247/2010
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
बारां एवं उदयपुर।

जयपुर, दिनांक :

12 JUL 2016

विषय :— बारां जिले में निवासरत “सहरिया एवं खैरुआ” जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बारां जिले में निवासरत “सहरिया एवं खैरुआ” जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत “कथौड़ी” जनजाति परिवारों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात नियमानुसार रोजगार की मॉग किये जाने पर 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से अर्थात कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराया जावे। 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने का श्रम करावे :—

- I. उक्त अतिरिक्त रोजगार के लिए मर्स्टररोल नरेगा सॉफ्ट से जारी की जायेगी।
- II. जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 100 दिवस का यह अतिरिक्त रोजगार केवल उक्त वर्णित परिवारों को ही उपलब्ध कराया जाना है एवं अन्य परिवारों को योजनान्तर्गत नियमानुसार 100 दिवस का रोजगार ही दिया जाना है।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 101602721 दिनांक 08.07.2016 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

 (रोहित कुमार) 11/7/16
 आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रत्येक वर्ष के अनुरूप नरेगा सॉफ्ट में प्रावधान हेतु।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. आयुक्त, ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां एवं उदयपुर।
9. सलाहकार (आईईसी) को प्रेषित कर लेख है कि प्रेस नोट रिलिज करने की व्यवस्था करें।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एव संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस